न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

प्रक0 53/2018 तारीख रजू– 23.08.2018

पीठासीन अधिकारी– श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. सुशीला पत्नि स्व0 सुमेर सिंह
2. मुकेश सिंह पुत्र सुमेरसिंह
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह
4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह
5. मोहनसिंह पुत्र सुमेर सिंह

समस्त जातियान राजपूत निवासियान महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम

सायलान

बनाम

1. सुप्यार कंवर पत्नि स्व0 कानसिंह
2. मोहनसिंह पुत्र कानसिंह
3. बहादुर सिंह पुत्र कानसिंह
4. हनुमान सिंह पुत्र कानसिंह
5. मधु पुत्री कानसिंह
6. श्रीदेवी कानसिंह

समस्त जातियान राजपूत निवासीयान महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम

गैरसायलान

7. तहसीलदार (उप रजिस्ट्रार) टोडाभीम।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री सुनिल कुमार जिन्दल एडवोकेट (सायलान)

श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (गैरसायलान न0 1 ता 6)

निर्णय दिनांक:– 17.06.19

संक्षेप में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार है कि ग्राम महेन्द्रवाडा की आराजी खसरा0 106 रकबा 0.43 है0 की हाल जमाबन्दी संवत 2070–73 में खातेदारी गैरसायल न0 1 के पति तथा गैरसायल न0 2 ता 6 के पिता कानसिंह पुत्र कल्याण सिंह के नाम दर्ज है। लेकिन कब्जा सायलान का चला आ रहा है। उक्त आराजीयात पर सायलान के बुजुर्ग किशना पुत्र प्रताप का कब्जा काश्त सम्वत 2000 से लगातार निर्बाध होता चला आ रहा था। किशना की मृत्यु के पश्चात सुमेर सिंह का कब्जा चला आ रहा है। जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी सम्वत 2020–33 तक में अंकित है। लगान का भुगतान भी हमारे बुजुर्गों द्वारा किया जा रहा है। गैरसायलान के बुजुर्ग कल्याण सिंह द्वारा सायलान के बुजुर्ग किशन सिंह के विरुद्ध एक

उपजिला कलक्टर

टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं0 89/66 उनवानी कल्याण सिंह बनाम किशना बाबत दस्तअन्दाजी आराजी एवं कब्जा से नाजायज करने का दिनांक 08.07.1966 को न्यायालय सहायक कलक्टर हिण्डौन सिटी के यहाँ अन्तर्गत धारा 183 व धारा 43 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था। जिसे न्यायालय द्वारा गुणावगुण का विवेचन कर दिनांक 22.12.70 को गैरसायल कल्याणसिंह का दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध कल्याण सिंह द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। सायलान एवं सायलान के बुजुर्गों को उक्त आराजी को काश्त करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सम्वत 2000 से सायलान के बुजुर्ग एवं उनकी मृत्यु के पश्चात सायलान निर्विघ्न रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है।

न्यायालय सहायक कलक्टर हिण्डौन के निर्णय दिनांक 22.12.1970 से कल्याण सिंह का दावा खारिज होने के पश्चात कल्याण सिंह ने ग्राम पंचायत मामची से साज कर उक्त आराजी के साबिक खसरा 70 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा को 43 (4) ई. राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत मुर्तहन का इन्द्राज जमाबन्दी में से हटाने बाबत नामांतकरण संख्या 205 दिनांक 26.10.76 को सायलान के बुजुर्ग व पिता सुमेर सिंह की जानकारी में लाये बिना खुलवा लिया गया। इसकी जानकारी होने पर सायलान के पति एवं पिता सुमेरसिंह ने न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के यहाँ अपील संख्या 130/77 उनवानी सुमेरसिंह बनाम कल्याण सिंह अपील खिलाफ आदेश दिनांक 26.10.76 ग्राम पंचायत मामची बाबत नामांतकरण संख्या 205 के विरूद्ध दिनांक 7.7.77 को प्रस्तुत की। अपील स्वीकार होकर दिनांक 5.6.79 को ग्राम पंचायत मामची को रिमाण्ड कर आदेश दिए गए कि पुनः पक्षकारान को नोटिस देकर जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करें। इस निर्णय के विरूद्ध गैरसायलान के बुजुर्गों ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की।

गैरसायल नं0 1 के पति व गैरसायल नं0 2 ता 6 के पिता कानसिंह द्वारा उक्त आराजी के बाबत सायलान के विरूद्ध माननीय उप जिला कलक्टर टोडाभीम के समक्ष एक उनवानी दावा कानसिंह बनाम सुशीला वगैरा मुकदमा नं0 84/15 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.2.16 द्वारा उक्त आराजी पर कानसिंह का कब्जा नहीं होना मानकर तथा उक्त आराजी के बाबत सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.70 को निर्णय कर दिए जाने के कारण गैरसायलान का दावा खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध भी गैरसायलान द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है।

इस प्रकार उक्त आराजीयात पर सम्वत 2000 से सायलान के बुजुर्ग किशना का एवं किशना की मृत्यु के पश्चात सुमेरसिंह का एवं सुमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात सायलान का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। इस प्रकार सायलान लॉग टर्म्स एण्ड एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार है। खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। लेकिन उक्त आराजी की खातेदारी गैरसायल नं0 1 के पति व गैरसायल नं0 2 ता 5 के पिता कानसिंह के नाम खातेदारी होने से गैरसायलान अपने नाम नामांतकरण खुलवाकर दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमद है। मौका दिनांक 5.6.18 को सायलान अपनी उक्त आराजी पर बाजरे की फसल की देखभाल कर रहे थे, तब गैरसायलान मौके पर आये और कहा कि जमीन की खातेदारी हमारे पिता के नाम है। जमीन का अपने नाम नामांतकरण खुलवाकर तदुपरान्त व्यक्तियों को विक्रय करेंगे। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा कार्यवाही में सफल हुए तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को दौराने दावा पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा नं0 108 रकबा 0.43 ग्राम महेन्दवाड़ा से बेदखल नहीं करें। और रहन व्यय नहीं करे, रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैरसायल न० 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। गैरसायल न० 1 ता 6 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी ख०न० 106 रकबा 0.43 है० ग्राम महेन्द्रवाड़ा में हाल स्वीकार है। सम्वत 2070–73 में खातेदारी गैरसायल न० 1 के पति एवं गैरसायल न० 2 ता 6 के पिता कालसिंह के नाम दर्ज है उनकी मृत्यु के पश्चात अब हम गैरसायलान के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थना पत्र में मद न० 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। आराजी ख०न० 106 रकबा 0.43 है० पर आज सायलान का कब्जा नहीं है। यह तथ्य भी गलत अंकित किया है कि आराजी ख०न० 106 एवं इसके साबिक ख०न० 70 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा पर सायलान के बुजुर्गान का कब्जा रहा है। नक्शा भी गलत बनाया है उक्त नक्शे से आराजीयात के विवाद का कोई संबंध नहीं है। गैरसायलान के ससुर व बाबा द्वारा कोई मुकदमा सायलान के द्वारा नहीं किया गया था। और नाही कल्याण सिंह द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पेश किया और नाहि प्रार्थना पत्र खारिज हुआ। यह है कि उक्त आराजी पर सायलान का कब्जा काश्त होती तो विरासत के नामांतकरण गैरसायलान के पति व पिता के नाम कैसे खुलता। इसके पश्चात गैरसायलान के पति व पिता का कालसिंह की मृत्यु के पश्चात गैरसायलान के नाम नामांतकरण कैसे खुलता। गैरसायलान के कब्जे काश्त होने के फलस्वरूप ही विरासत का नामांतकरण संख्या 511 दिनांक 26.12.18 को स्वीकृत होकर खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज हुई है।

यह है कि साबिक ख०न० 70 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा की ग्राम महेन्द्रवाड़ा के तहत मुर्तहन हटाने का जमाबन्दी से हटाने बाबत नामां० संख्या 205 दिनांक 26.10.76 ग्राम पंचायत मामची द्वारा खोला गया, जिसकी कोई अपील सायलान के बुजुर्गान द्वारा की गई। इसकी जानकारी कभी–भी गैरसायलान या उनके बजुर्गान को नहीं रही है और नाही सायलान द्वारा आगे कोई कार्यवाही की गई है इस बिना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा सायलान द्वारा मुकदमा न० 84/2017 कालसिंह बनाम सुशीला वगै० में सुशीला के द्वारा अदालत को गुमराह देकर नामांतकरण संख्या 205 दिनांक 26.10.76 का तथ्य छुपाकर सेक्शन 11 रेस ज्युडिकेटा के प्रिंसीपल के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करमादिया गया जिससे सायलान सुशीला वगै० को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। महज गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र रेस ज्युडिकेटा के आधार पर खारिज किया गया है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा कथित तारीख 5.8.18 की घटना मनगढ़त, गलत, कपोल कल्पित अंकित की है। विरासत का नामांतकरण गैरसायलान के नाम नहीं खुला है जब आराजी विवादग्रस्त पर सायलान का कब्जा नहीं है तो धमकी देने का प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता है। आराजी पर गैरसायलान काबिज एवं दखील है। इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राईमा फेसी साबित नहीं है नाही सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तिनीय क्षति होगी जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को कोई क्षति नहीं है। विशेष विवरण में यह भी अंकित किया है कि सायलान ने समस्त मेटेरियल फेक्टस को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। साबिक आराजी ख०न० 70 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा गैरसायलान के बुजुर्ग के नाम रही है। विरासत का नामांतकरण गैरसायलान न० 1 के पति व गैरसायल न० 2 ता 6 के पिता कालसिंह के नाम खुला है। नवीन ख०न० 106 रकबा 0.43 है० बना है विरासत के नामांतकरण संख्या 511 दिनांक 26.12.18 से गैरसायलान के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। गैरसायलान बवजमाने बुजुर्गान उक्त आराजी पर काबिज एवं दखील है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान खारिज फरमाया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि लॉग टर्म एवं एडवर्स पजेशन का दावा प्रस्तुत किया है खाता आराजी खसरा 106 पर 1976 से कब्जा है। गैरसायलान के बुजुर्ग कल्याण सिंह ने बेदखली का दावा न्यायालय सहायक कलक्टर हिण्डौन में मुकदमा 89/66 प्रस्तुत किया था। जो ऑर्डर पर 1970 में खारिज हो गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। विवादित आराजीयात पर सायलान का कब्जा है। न्यायालय सहायक कलक्टर हिण्डौन सिटी के यहाँ अन्तर्गत धारा 183 व धारा 43 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था। जिस न्यायालय द्वारा गुणावगुण का विवेचन कर दिनांक 22.12.70 को गैरसायल कल्याणसिंह का दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरुद्ध कल्याण सिंह द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। वर्ष 2015 में कानसिंह ने धारा 188 टिनेन्सी एक्ट के तहत सुशीला वगै0 के विरुद्ध न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम में पेश किया। जो दिनांक 27.9.16 को खारिज हो गया। इसकी भी कोई अपील पेश नहीं हुई है। धारा 107-116 सी.आर.पी.सी. के मुकदमे में कब्जा सुशीला का बताया है। प्रथम दृष्टया - 50 वर्षों से कब्जाकाश्त है। सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में है। यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अपूर्णनीय क्षति होगी।

वकील गैरसायलान ने कहा कि सन 1976 में कल्याण सिंह के स्थान पर विरासत में कानसिंह के नाम खातेदारी हुई तब सायलान द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की। एडवर्स पजेशन के आधार पर कोई खातेदारी नहीं दी जा सकती है। लिखित बहस प्रस्तुत करने का कथन किया। लिखित बहस प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र के जवाब में वर्णित तथ्यों को अपनी लिखित बहस में वर्णन किया है। सायलान ने एडवर्स पजेशन एवं लॉग टर्म पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही है तथा मुकदमा न0 89/66 कल्याण सिंह बनाम किशना निर्णय दिनांक 8.7.66 को पेश करने तथा दिनांक 22.12.70 का विवेचन करने, तथा ग्राम पंचायत मासड़ी द्वारा नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 26.10.76 के बुजुर्ग एवं पिता सुमेरसिंह की जानकारी में लाये बिना खुलवा लेने तथा इसकी अपील सुमेर सिंह द्वारा अपील संख्या 130/77 प्रस्तुत करने तथा दिनांक 5.6.79 को अपील स्वीकार कर पुनः पक्षकारान को नोटिस देकर जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करने का तथा गैरसायलान के पति एवं पिता कानसिंह द्वारा मुकदमा न0 64/15 इस सम्माननीय अदालत में पेश करने का व खारिज होने का हवाला देकर खातेदारी चाही है। विपक्ष गैरसायलान द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी वर्तमान में गैरसायलान के नाम खातेदारी दर्ज है। वर्तमान में काबिज है। पूर्व मे कानसिंह एवं उनके बुजुर्ग कल्याण सिंह की खातेदारी व कब्जेकाश्त रही है। सायलान द्वारा अपील संख्या 130/77 निर्णय दिनांक 5.6.79 मे नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 26.10.76 को निरस्त करवाकर ग्राम पंचायत मासड़ी को पुनः जाँच कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करना था। अपील आपने पेश की थी अपील का ज्ञान था खातेदारी व कब्जाकाश्त गैरसायलान के ददीया ससुर, बाबा कल्याण सिंह का था। तब से वर्ष 1979 से लेकर आज तक सायलान व उनके बुजुर्गान द्वारा कोई भी कार्यवाही खातेदारी व नामान्तकरण के बाबत नहीं की, क्योंकि उक्त आराजी पर गैरसायलान के बुजुर्ग काबिज थे। और आज विरासत के आधार पर गैरसायलान काबिज है। यदि सायलान का पुराना कब्जा रहा होता तो उनके नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत खातेदारी मिल जाती। अर्थात सायलान व उनके बुजुर्गान का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। सन 1976 से लगातार गैर सायलान एवं बुजुर्गान के नाम खातेदारी चली आ रही है। विरासत के नामांतकरण लगातार खुले चले आ रहे है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायलान व बुजुर्गान काबिज एवं दखील है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

यह है कि वकील सायलान ने भी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों एवं बहस में कथन किए तथ्यों को समाविष्ट करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत की

दौराने बहस सायल वकील ने आर.आर.डी. 2016 पृष्ठ संख्या 513 एवं आर.आर.डी. 2015 पृष्ठ संख्या 497 प्रस्तुत की तथा वकील गैरसायलान ने डी.एन.जे. 2017 पृष्ठ संख्या 125 आर.आर.डी. 2011 पृष्ठ संख्या 54 प्रस्तुत की।

वकील उभयपक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो तथा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। अस्थाई प्रार्थना पत्र के साथ घोषणा खातेदारी का वाद भी प्रस्तुत किया गया। उक्त विवादित आराजीयात के संबंध में पूर्व में भी न्यायालयों में मुकदमें चले है। मूल दावा घोषणा खातेदारी का होने से साक्ष्य एवं सुनवाई के पश्चात मेरिट के आधार पर विनिश्चित होना है। अनावश्यक [illegible] की बहुलता को रोका जाना न्यायोचित होने से दावा के निर्णय होने तक गैरसायलान को विवादित आराजीयात ख0न0 106 रकबा 0.43 है0 ग्राम महेन्द्रवाडा पर रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखने के लिए पाबन्द किया जाना उचित है।

अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल दावा के निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है। कि ग्राम महेन्द्रवाडा की भूमि ख0न0 106 रकबा 0.43 है0 के रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखे।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible]
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
टोडाभीम जिला करौली